सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 887 राँची, बुधवार 12 सितम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 सितम्बर, 2018

विषय:- झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक- 97 पर दर्ज "प्रजापति (कुम्हार)" के साथ "कुम्हार/कुम्भकार" जाति को सम्मिलित करने के संबंध में ।

संख्या-14/जा०नि०-03-02/2018 का.- 6992-- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछडे वर्गो एवं पिछडे वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है ।

3. झारखण्ड पिछडे वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि ''झारखण्ड राज्य के पिछड़ी जाति की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक-97 पर दर्ज ''प्रजापति (कुम्हार)'' के साथ 'कुम्हार/कुम्भकार' को शामिल किया जाय'' के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''कुम्हार/कुम्भकार'' को राज्य के अत्यन्त पिछडे वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-97 पर दर्ज ''प्रजापति (कुम्हार)'' के साथ निम्नवत सम्मिलित की जायः-

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
97	प्रजापति (कुम्हार)	प्रजापति (कुम्हार) एवं कुम्हार/कुम्भकार

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 887 -- 50